100

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 843-पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-04-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 214/अपील/09-10

मंशाराम पुत्र श्री पतुआ
निवासी ग्राम ओढ़पुरा
तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1-तरूण बंसल पुत्र नामालुम
निवासी जनकगंज तहसील व जिला ग्वालियर
2-हरविलास पुत्र श्री शोभाराम
निवासी ग्राम ओढ़पुरा
तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमंक 1 द्वारा सर्वे क्रमांक 201 मिन रकबा 0.125 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र क्रमांक 299 दिनांक 27-8-2008 से क्रय की जाकर नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जो तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-8-2009 से आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-10-2009 से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-2010 से अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि व प्रक्रिया का पालन किये बगैरआदेशपारितकिया है क्योंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की अपील में रिकार्ड बुलाये बगैर ही प्रारंभिक आधार पर ही अपीलें निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है इसलिये उक्त आदेश विधिसंगत नहीं है । यह भी कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित प्रक्रिया व नियमों का पालन किये बगैर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है इसलिये ऐसे समवर्ती निष्कर्षो को निगरानी में निरस्त किया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई, जबकि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । अत: अनुविभागीय अधिकारी/अपर आयुक्त के इस संबंध में निष्कर्ष सही है । जहॉ तक गुणदोषों का प्रश्न है आवेदक ने किसी भी स्टेज पर संयुक्त खातेदार होने का खसरा प्रस्तुत नहीं किया है और न ही यह बताया है कि

क्या अनावेदक ने उसके हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय की है अतः तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-4-2010 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर